भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4434

20 अगस्त, 2025 के लिए प्रश्न

एफसीआई के अंतर्गत खाद्यान्न की बर्बादी

4434. श्री तनुज पुनिया:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अप्रैल 2023 और मार्च 2025 के बीच भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) में क्षतिग्रस्त, बर्बाद या परिवहन और भंडारण के दौरान नष्ट हुए खाद्यान्नों की मात्रा का राज्य-वार ब्यौरा क्या है, जिसमें ऐसी हानि का मौद्रिक मूल्य भी शामिल हो;

(ख) क्या उक्त नुकसान की वसूली बीमा या विभागीय उत्तरदायित्व के माध्यम से की जा सकती है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एफसीआई अपने खाद्यान्नों का भंडारण किराए के गोदामों में करता है और यदि हाँ, तो इस पर प्रतिवर्ष खर्च की जाने वाली राशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा एफसीआई गोदामों के आधुनिकीकरण और इन्वेंट्री के संपूर्ण डिजिटलीकरण को आरंभ करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या लापरवाही के कारण हुए उक्त नुकसान के लिए एफसीआई या राज्य स्तरीय किसी अधिकारी को दंडित किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) वैज्ञानिक रूप से भारी मात्रा में खाद्यान्न की खरीद, भंडारण और प्रबंधन करता है। देश भर में सभी जलवायु वाले क्षेत्रों में करोड़ों टन खाद्यान्न के प्रबंधन के बावजूद, प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, चक्रवात, भारी वर्षा आदि के कारण खाद्यान्न की एक नगण्य मात्रा क्षतिग्रस्त हो जाती है।

अप्रैल 2023 से मार्च 2025 के दौरान रिपोर्ट किए गए मौद्रिक मूल्य के साथ-साथ खाद्यान्नों के राज्य-वार भंडारण और पारगमन नुकसान का विवरण क्रमशः अनुबंध क और ख में संलग्न है।

(ख): मानदंडों से अधिक नुकसान के प्रत्येक मामले की जांच की जाती है तथा जिम्मेदार पाए गए लापरवाह अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई/वसूली शुरू की जाती है।

...2/-

(ग): जी हाँ। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) अपने खाद्यान्नों का भंडारण किराए के गोदामों में भी करता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान एफसीआई द्वारा गोदाम के किराए के रूप में कुल 348482.30 लाख रुपये (अलेखापरीक्षित) का भुगतान किया गया है।

(घ): अपने भंडारण ढांचे को सुदृढ़ और अद्यतन बनाए रखने के लिए, भारतीय खाद्य निगम आधुनिकीकरण के लिए विभिन्न कदम उठा रहा है। विवरण निम्नानुसार है:

डिपो दर्पण प्लेटफार्म का कार्यान्वयन: डिपो दर्पण खाद्यान्न भंडारण डिपो के बुनियादी ढांचे और परिचालन दक्षता को बढ़ाने के लिए एक डिजिटल स्व-मूल्यांकन और निगरानी मंच है।

एफसीआई के स्वामित्व वाले गोदामों का उन्नयन: एफसीआई के स्वामित्व वाले गोदामों के उन्नयन के लिए, 'एफसीआई का रूपांतरण' पहल के तहत पूंजीगत बजट आबंटित किया गया है।

(ङ): अप्रैल 2023 और मार्च 2025 के बीच एफसीआई में परिवहन और भंडारण के दौरान क्षतिग्रस्त, बर्बाद या खोए गए खाद्यान्नों के लिए एफसीआई के अधिकारियों के खिलाफ शुरू किए गए अनुशासनात्मक मामलों की संख्या का क्षेत्रवार विवरण निम्नानुसार है:

क्षेत्र का नाम	अनुशासनात्मक मामलों की संख्या	
	वर्ष 2023-2024	वर्ष 2024-2025
उत्तर प्रदेश	35	49
पंजाब	37	18
राजस्थान	3	3
दिल्ली	43	14
हरियाणा	5	7
अरुणाचल प्रदेश	1	0
असम	1	1
मणिपुर	1	0
गुजरात	5	5
महाराष्ट्र	179	103
मध्य प्रदेश	17	0
छतीसगढ	89	28
आंध्र प्रदेश	21	7
केरल	30	4
बिहार	84	30
झारखंड	8	4
ओडिशा	12	11
पश्चिम बंगाल	57	65

*****

अनुबंध-क

लोकसभा में दिनांक 20.08.2025 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4434 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

वर्ष 2023-2024 और 2024-2025 के दौरान भंडारण हानि (गेहूं+चावल) का राज्यवार विवरण निम्नानुसार है:

(आंकड़े टन में, मूल्य करोड़ रुपये में)

क्षेत्र का नाम	**वर्ष 2023-2024**		**वर्ष 2024-25**	
	हानि की मात्रा	**मूल्य**	**हानि की मात्रा**	**मूल्य**
पंजाब	-55799	-126.62	-23274	-33.81
हरियाणा	-46544	-110.10	-33216	-75.85
उत्तर प्रदेश	-7958	-11.32	-3506	2.37
उत्तराखंड	-449	-0.83	-244	-0.27
राजस्थान	-5436	-12.65	-6829	-16.94
जम्मू एवं कश्मीर	687	2.72	791	3.17
दिल्ली	-280	-0.16	192	1.24
हिमाचल प्रदेश	-273	-0.58	-281	-0.61
महाराष्ट्र	5145	19.17	5608	21.60
गुजरात	-234	3.41	1053	6.95
मध्य प्रदेश	-75257	-177.40	-14271	-33.84
छत्तीसगढ	4635	17.05	5094	19.16
आंध्र प्रदेश	-242	-0.68	2260	8.69
कर्नाटक	1840	7.00	1757	7.19
तमिलनाडु	470	2.28	66	1.18
केरल	-924	-1.92	-848	-1.73
तेलंगाना	-4367	-15.66	-3420	-12.61
पश्चिम बंगाल	-2759	-5.89	-290	1.28
ओडिशा	-1570	-5.10	155	0.92
बिहार	142	1.58	779	4.33
झारखंड	654	2.81	1112	4.59
एनईएफ	222	0.83	185	0.75
असम	856	3.17	349	1.39
नगालैंड	165	0.60	150	0.56
अरुणाचल प्रदेश	48	0.18	33	0.12
मणिपुर	31	0.11	43	0.16

टिप्पणी: (-) लाभ को दर्शाता है।

अनुबंध-ख

लोकसभा में दिनांक 20.08.2025 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4434 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

वर्ष 2023-2024 और 2024-2025 के दौरान रिपोर्ट किए गए पारगमन नुकसान (गेहूं+चावल) का राज्यवार विवरण निम्नानुसार है:

(आंकड़े टन में, मूल्य करोड़ रुपये में)

क्षेत्र का नाम	वर्ष 2023-2024		वर्ष 2024-2025	
	हानि की मात्रा	मूल्य	हानि की मात्रा	मूल्य
पंजाब	-	-	-	-
हरियाणा	-	-	-	-
उत्तर प्रदेश	16850	48.37	14289	42.82
उत्तराखंड	645	1.53	274	0.70
राजस्थान	1686	4.09	1695	4.35
जम्मू एवं कश्मीर	1152	3.70	1032	3.65
दिल्ली	216	0.57	868	2.98
हिमाचल प्रदेश	79	0.22	205	0.63
महाराष्ट्र	7912	24.78	10853	35.07
गुजरात	4322	14.00	6278	20.52
एमपी	6	0.02	22	0.08
छत्तीसगढ	297	0.70	302	0.76
आंध्र प्रदेश	439	1.28	218	0.71
कर्नाटक	3278	11.50	5022	18.56
तमिलनाडु	455	1.82	1059	4.02
केरल	811	2.88	1018	3.77
तेलंगाना	266	0.63	199	0.50
पश्चिम बंगाल	7653	21.79	5740	16.10
ओडिशा	890	2.11	534	1.34
बिहार	8879	27.59	8741	27.84
झारखंड	5250	17.30	4995	17.11
एनईएफ	1687	5.92	1863	6.85
असम	6270	20.73	6185	22.59
नगालैंड	808	2.95	873	3.28
अरुणाचल प्रदेश	246	0.90	318	1.19
मणिपुर	506	1.85	465	1.75

*****